चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 30.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता

कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजय बहादुर सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त संदीप कुमार पटेल पुत्र महेश कुमार पटेल निवासी रानी तालाब के पास रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजय बहादुर सिंह थाना रैपुरा

2.आरक्षी हेमन्त आर्य

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 118/2024 धारा 363 भादवि0 के वांछित अभियुक्त शिवदयाल उर्फ छोटू पुत्र नन्दकिशोर निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी

2.आरक्षी संतोष कुमार

(5). आज दिनाँक 30.06.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले 01 निरीक्षक गोपनीय व 04 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक गोपनीय श्री विजय भान सिंह, उ0नि0 श्री ममलेश्वर तिवारी, उ0नि0 श्री हरीशचन्द्र मिश्रा, उ0नि0 श्री सूर्य प्रसात दुबे, उ0नि0 श्री अब्दुल सलाम को फूल माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक गोपनीय व उपनिरीक्षकों एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत हो रहे निरीक्षक गोपनीय व उपनिरीक्षकों से कहा गया कि आप सब ने पुलिस विभाग को अपने जीवन का अमूल्य समय लम्बी सेवा के रुप में दिया है इसके लिये आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं तथा पुलिस की व्यस्तम जीवन से आप विदा हो रहे हैं अब आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों एवं परिवार के साथ व्यतीत करें। घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन, प्रभारी एलआईयू श्री सूर्यकान्त अरुण राय, प्रभारी क्राइम ब्रांच श्री राजेश कुमार द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू श्री दुर्गविजय सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनाँक 30.06.2024 को पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित कान्हा सभागार में नये कानून के लिये 01 दिवसीय प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री दिनेश त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त, अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पियूष कुमार सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा थाना/कार्यालयों में नियुक्त लगभग 140 पुलिस कर्मियों को दिनाँक 01.07.2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की धाराओं के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से पढ़ाया गया।